फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थीगण — अप्रार्थी

1 सकाराम पुत्र स्व श्री दरगा जाति मेघवाल निवासी आमलारी तहसील व जिला सिरोही — बनाम — 1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट — रा.प्रा.पत्र सं. 27/2022

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
25–06–25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील सुश्री मीनाक्षी गौतम व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/320 दिनांक 05–05–2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी आमलारी का निवासी है। प्रार्थी के दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम दरगा पुत्र भूदा है। राजस्व रेकर्ड ग्राम आमलारी में जमाबंदी खाता संख्या 305 खसरा संख्या 1276 रकबा 0.6300 हेक्टेयर में नाम भूदा पुत्र दरगा है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भूदा पुत्र दरगा है। जांच में यह पाया गया कि ग्राम आमलारी के नामान्तकरण संख्या 140 दिनांक 13.06.1962 के द्वारा आमलारी का खसरा नंबर 842 पुराना रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा अर्थात् 0.63 हेक्टेयर भूदा पुत्र दरगा मेघवाल सा देह खातेदार दर्ज हुआ है। नामान्तकरण संख्या 140 में स्वीकृति अधिकारी की टिप्पणी अनुसार संवत 2012 के काश्त होने से आर.टी.एक्ट. धारा 15 के तहत खातेदारी दी गई है। मिलान क्षेत्रफल की नकल अनुसार पुराना खसरा संख्या 842 रकबा 0.63 हेक्टेयर से नया खसरा संख्या 1276 रकबा 0.63 बना है। इस प्रकार पाया कि राजस्व रेकर्ड में सीधा ही जरिए नामान्तकरण भूदा पुत्र दरगा दर्ज हुआ है। प्रार्थी के पिता के बारे में ग्राम आमलारी में जानकारी ली गई तो पाया कि इनका सही नाम दरगा पुत्र भूदा है। प्रार्थी के पिता का नाम दरगा व दादा का नाम भूदा है। वहां मोजिज व्यक्तियों ने बताया कि भूदा पुत्र दरगा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तथा दरगा पुत्र भूदा ही सही व्यक्ति है। मौके पर खसरा नंबर 1276 की आराजी पर दरगा पुत्र भूदा का ही कब्जा काश्त रहा है व वर्तमान में भी दरगा के वारिसान प्रार्थी का ही कब्जा है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा नामांतकरण संख्या 140 में सहवन से दरगा पुत्र भूदा की जगह भूदा पुत्र दरगा नाम दर्ज हो गया है जिसको सुधार किया जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***प्रार्थी के खातेदारी की आराजी***	

ग्राम आमलारी पटवार हल्का आमलारी में जमाबंदी खाता संख्या 305 खसरा संख्या 1276 रकबा 0.6300 हेक्टेयर में भूदा पुत्र दरगा के स्थान पर दरगा पुत्र भूदा संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें।

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज.)

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही